प्रेस नोट 20.11.2021

60 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ तीन गिरफ्तार–

दिनांक 19.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा कोपाकोहना के पास से हरेन्द्र सोनकर पुत्र त्रिवेणी सोनकर निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वार कमालचक पुलिया के पास से कल्लू पुत्र अयुब निवासी युसूफाबाद थाना चिरैयाकोट के कब्जे से 30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना रामपुर पुलिस द्वारा काठतराव पुलिया के पास से विद्याधन पुत्र स्व0 शरादा सिंह निवासीा सतना बहादुरपुर थाना उभावं जनपद बलिया के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 19 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा सुरेन्द्र, सोनू, रोशन, शंकर, कैलाश निवासीगण असना, दलबीर निवासी बड़ागांव भरौटी थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अफताब अहमद, महताब अहमद, सरफराज अहमद निवासीगण इब्राहिमपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा प्रदीप निवासी सिसवा, नवीन निवासी बनियाबान थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मनोज कुमार निवासी गाधीनगर कस्बा मुहम्मदाबाद थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दीपक निवासी छोटी बकवल, विनय शर्मा, अभिषेक मौर्या, अनिकेत मौर्या निवासीगण अछार, ओमप्रकाश, प्रेमचन्द्र, सलाउद्दीन निवासीगण सरवा थाना सरायखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 20. 11. 2021 **यातायात माह नवम्बर**-2021 **को <u>निशुल्क नेत्र परिक्षण शिविर</u> का आयोजन गाजीपुर तिराहा पुलिस बूथ पर रोटरी क्लब मऊ के सहयोग से किया गया। जिसका उद्घघाटन क्षेत्राधिकारी यातायात/नगर श्री धन्नजय मिश्र द्वारा किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव सचीन्द्र सिंह, आदि लोग सामिल हुए।इस अवसर पर शारदा नारायण हास्पिटल के, डा**0 **मुहम्मद फहीम, डा**0 **सुजीत सिंह द्वारा अपने स्टाप के साथ निशुल्क** 132 **वाहन चालको का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया एंव आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा दवा वितरित की गयी, साथ-साथ ब्लड़ प्रेशर व सुगर की निशुल्क जांच की गयी। जिसको प्रभारी यातायात**

संतोष कुमार यादव, HCP रमेश कुमार, का0 प्रवीण कुमार, का0 संजय यादव, का0 उमाकन्त मौर्या, होम गार्ड करन सिंह, पंकज कुमार सिंह, विजय सेन, अभिमन्यु सिंह टीम के साथ, सकुशल सम्पन्न कराया गया, चालको/परिचालको को यातायात नियमो व संकेतो के बारे मे भी जानकारी प्रदान की गयी ।

इसी क्रम मे गाजीपुर तिराहा, आजमगढ तिराहा, बाल निकेतन आदि स्थानो पर यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको/स्वामियो के विरूद्ध प्रभारी यातायात संतोष कुमार यादव, HCP रमेश कुमार, का0 प्रवीण कुमार, का0 उमाकान्त मौर्या , का0 संजय यादव, होम गार्ड करन सिंह, पंकज कुमार सिंह, विजय सेन, अभिमन्यु सिंह, अमीर चन्द, टीम के साथ प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। जिसमे हेलमेट, सीट वेल्ट, दो पहिया पर तीन सवारी, ध्वनि प्रदूषण Mv.Act की धाराओ मे सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमो के उल्लघन पर कुल 60 वाहनो से 76000 रू0 का पेण्डिग ई-चालान किया गया।